संख्या-101/2018/3782/सैंतीस-2-2018-1(53)/2017

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-10 दिसम्बर, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशु संजीवनी कार्यक्रम (60 प्रति.के.पो.) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ के पत्र सं0-1019(6)/यूपीएलडीबी/एइएस/रागोमि:एनपीबीबी/2018-19, दिनांक-30.10.2018 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-89/2018/2826/सैंतीस-2-2018-1(53)/2017, दिनांक-11.09.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नेशनल मिशन ऑन बोवाईन प्रोडक्टिविटी (एन.एम.बी.पी.) के अन्तर्गत पशु संजीवनी कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश रू0-132.02 लाख में राज्यांश की धनराशि रू0-88.01 लाख सम्मिलित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-पशु संजीवनी कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में कुल रू0-220.03 लाख (रूपये दो करोड़ बीस लाख तीन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी:-

(1) प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम में बचत खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने/धनराशि का भारत सरकार से समायोजन कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से कर ली जायेगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) निदेशक, पशुपालन यह सुनिश्चित करेगें कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) व्यय धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोजेक्ट मैनुअल (प्रोजेक्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-30.03.2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशो तथा शासनादेश दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययिता संबंधी आदेशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 की शर्तों का अनुपालन किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-पशु संजीवनी कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.)-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-830/दस-2018, दिनांक-04.12.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पु0सं0-101/2018/3782(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in